

(भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की सभी योजनाओं के लिए एक ही आवेदन पत्र)

“सरल-2016”

प्रत्येक योजना के लिए इसी सरल आवेदन पत्र का प्रयोग करें

.....(योजना का नाम जिसमें आवेदन किया जा रहा है)

1. हिताधिकारी का नाम:.....
2. पिता/पति का नाम
3. जन्मतिथि व आयु: (दिन/माह/वर्ष)आयु (वर्षों में)
4. पता :(i) मकान संख्या (ii) मोहल्ला/गाँव
- (iii) ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)/वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र)
- (iv) ब्लॉक/शहर (v) जिला
5. हिताधिकारी द्वारा किया जाने वाला कार्य (बेलदार, मिस्त्री, बिजली का कार्य, नल का कार्य आदि) :.....
6. हिताधिकारी से सम्बन्धित अन्य जानकारी—
 - (6.1) भामाशाह कार्ड/नामांकन संख्या(6.2) आधार कार्ड संख्या
 - (6.3) मोबाईल नम्बर(6.4) हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि
 - (6.5) अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि
 - (6.6) पंजीयन अधिकारी का पदनाम व स्थान
 - (श्रम विभाग/बीडीओ/सानिदि, पीएचईडी अथवा जल संसाधन विभाग का आईएन आदि)
- 6.7 हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण—
 - (i) बैंक का नाम(ii) बैंक की शाखा का नाम
 - (iii) खाता संख्या (iv) बैंक का आईएफएससी कोड(यदि हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड/नामांकन तथा बैंक खाता विवरण अंकित करें।)
7. यदि पति-पत्नी दोनों हिताधिकारी हैं, तो पति/पति के सम्बन्ध में जानकारी—
 - (7.1) हिताधिकारी (पति/पति) का नाम (7.2) पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि

हिताधिकारी की पासपोर्ट साईज की फोटो चिपकारें

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि

हिताधिकारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सभी योजनाओं के साथ समान रूप से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज —

- (1) हिताधिकारी के परिचय पत्र की प्रति (2) आधार कार्ड की प्रति (3) भामाशाह कार्ड/नामांकन की प्रति तथा
- (4) बैंक पास बुक के प्रथम पेज की प्रति

योजनावार आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

1. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना—(1) छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि सम्बन्धी जानकारी व शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र (प्रपत्र-1)(2) उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंकतालिका की प्रति
2. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना—(1) आवास निर्माण सम्बन्धी जानकारी व घोषणा(प्रपत्र-2) (2) बीपीएल/अ.जा./अ.ज.जा./विशेष योग्यजन/पालनहार परिवार (यदि लागू हो) के प्रमाण पत्र की प्रति (3) वार्षिक आय प्रमाण पत्र की प्रति (4) भूखण्ड के विवाद रहित होने के प्रमाण पत्र की प्रति (5) बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की प्रति (6) आवास के अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
3. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा बीमा योजना— (1) योजना सम्बन्धी विवरण व घोषणा पत्र (प्रपत्र-3) (2) योजनाओं की प्रीमियम राशि जमा कराने सम्बन्धी बैंक खाते पासबुक पृष्ठ की प्रति
4. शुभशक्ति योजना— (1) पुत्री के बैंक खाते का विवरण (2) योजना सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-4)
5. सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना— (1) मृत्यु प्रमाण पत्र(सामान्य मृत्यु) (2) एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट (दुर्घटना मृत्यु) (3) चिकित्सक का प्रमाण पत्र (आवश्यक होने पर) (4) योजना सम्बन्धी विवरण और घोषणा (प्रपत्र-5)
6. प्रसूति सहायता योजना— (1) प्रसव सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-6) (2) अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव होने का डिस्चार्ज टिकट (3) प्रसूता की आयु का प्रमाण पत्र (4) संतान संबंधी प्रमाण पत्र (ममता कार्ड)
7. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना— (1) योजना सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-7) (2) न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र (3) मृत्यु प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)
8. निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना— (1) योजना सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-8) (2) औजार खरीदने का मूल बिल

आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट bocw.labour.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सिलिकोसिस पीडित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
(सिलिकोसिस पीडित होने पर)

प्रपत्र-7

मैं (हिताधिकारी का नाम) पत्नि.....(पति का नाम), घोषणा करता हूँ कि मैं निर्माण श्रमिक हूँ तथा खान या खदानों से बाहर पत्थर तोड़ने, काटने, पीसने या तराशने का कार्य कारता/करती हूँ। मुझे सिलिकोसिस होने का प्रमाण पत्र न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड.....(स्थान का नाम) द्वारा जारी किया गया है (मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें)। मैं अस्वस्थ होने के कारण पिछले वर्ष.....माह से कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ/अथवा वर्तमान में मैं (नियोजक/ठेकेदार का नाम)..... (ठेकेदार/नियोजक का पता) के संस्थान.....(कार्य स्थल का पता) में कार्य कर रहा हूँ (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)। मेरे द्वारा राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड से कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है।

अथवा (सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर)

मैं(हिताधिकारी के नामित का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि.....(पिता/पति का नाम) निवासी(पता) घोषणा करता हूँ कि मेरे पिता/पति/पत्नि(मृतक हिताधिकारी का नाम), जिनकी मृत्यु सिलिकोसिस के कारण हुई है (मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें), खान या खदानों से बाहर पत्थर तोड़ने, काटने, पीसने या तराशने का कार्य करते थे। उनके द्वारा या उनके लिए राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड से कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है/थी।

हस्ताक्षर हिताधिकारी अथवा नामित